



न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र

मित्ररानी - 31/32/2018/ग्वालियर/हांवाड़ी प्र.क्र.

भारती इंफ्राटेल लिमिटेड

द्वारा श्री गौरव तिवारी आ. श्री सोम प्रकाश तिवारी

सहायक प्रबंधक-कानूनी और नियामक (म.प्र.- छ.ग.)

भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, मैट्रो टावर एच-3

श्री. कृष्ण नाथ उपर्युक्त

द्वारा आज 21/5/18 द्वैथी मंजिल, इंदौर, म.प्र.

प्रस्तुत! प्रारम्भिक तर्क हेतु चतुर्थ मंजिल, मैट्रो टावर,

दिनांक 6-6-18 नियत। विजय नगर चौराहा, इंदौर(म.प्र)

पुनरीक्षणकर्ता

प्रमाणित ऑफ कोर्ट 5/18

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. म.प्र शासन द्वारा उपरंजीयक सिवनी

2. श्री दिनेश शर्मा आत्मज बिहारीलाल शर्मा पोलिटेक्निक

कॉलेज के पीछे अकबर वार्ड प्लाट न. 1013

विवेकानन्द कॉलोनी बारापत्थर सिवनी अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत 56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

उक्त पुनरीक्षण अधिनस्त न्यायालय श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक जिला सिवनी म.प्र द्वारा प्र क्र 22/बी-103/2015-16 मे पारित आलोच्य अंतिम आदेश दिनांक 26/07/16 के विरुद्ध दुखीत एवं परिवेदीत होकर आदेश की सत्य प्रतिलिपि के प्राप्ति दिनांक 04/04/2018 से समय अवधी में प्रस्तुत की जा रही है।

पुनरीक्षण के तथ्य

- 1 यह की पुनरीक्षणकर्ता एक टावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है, कंपनी द्वारा इंदौर जि के अपने सहायक प्रबंधक श्री गौरव तिवारी आ. श्री सोम प्रकाश तिवारी.को अधिकृत कर उक पुनरीक्षण प्रस्तुत की जा रही है।
यह कि महालेखगार ग्वालियर द्वारा उपरंजीयक कार्यालय सिवनी पर अभिलिखित निरक्ष टिप अवधि 2013-15 की कण्डिका 2 मोबाइल टावर के पट्टा अनुबंधों में संलग्न सूची क्रमांक 3 पर उल्लेखित लीज डीड के पंजीयन के न होने से स्टाम्प शुल्क 17550 पंजीयन 13163 की हानी के आक्षेप में नगर पालिका सिवनी से प्राप्त अनुबंध के आद पर प्रकरण दर्ज किया गया।
- 3 यह कि अधिनस्त न्यायालय ने उक्त प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता को विधि सम्यक सुन्त पत्र तमिल कराये बीना एक पक्षीय पूर्वाग्रह से ग्राहित होकर कार्यवाही की जिसमे लाइ विलेख लीज विलेख के स्वरूप का होने से 20 वर्ष की अवधि के लिए 6500 प्रति

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3132/2018/सिवनी/स्टाम्प

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
11-10-18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 22/बी-103/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2017 के विरुद्ध धारा 56 (4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। निगरानी आवेदन पत्र के साथ उनके द्वारा धारा-5 का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 1 वर्ष 11 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके हैं। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है।</p> 	<p>(सूची असू अली) सदस्य</p>